

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिदिरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा-निर्देश/2023-24

दिनांक :- 02.05.2024

संशोधित आरटीई समय सारणी सत्र 2024-25

विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है :-

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	विज्ञान-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बंधित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	02 अप्रैल 2024 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	03 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना	13 मई 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (विद्यालय चयन क्रम को बदलना)	13 मई 2024 से 20 मई 2024 तक	अभिभावकों द्वारा
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा)	13 मई 2024 से 24 मई 2024 तक	गैर सरकारी विद्यालय
7	अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना।	13 मई 2024 से 30 मई 2024 तक	अभिभावकों द्वारा
8	विद्यालय द्वारा Request किये जाने(बालक द्वारा दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने पर)/अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना।	13 मई 2024 से 03 जून 2024 तक	सीबीईओ द्वारा
9	रोश समस्त आवेदन ऑटोवैरिफाई करना।	06 जून 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
10	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन करना (प्रथम चरण आवंटन)	07 जून 2024 से 25 जुलाई 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
11	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन करना (द्वितीय चरण आवंटन)	26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
12	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर) (अन्तिम चरण)	17 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

(चन्द्र किरण पंतार)

सहायक निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
Signature Not Verified
बीकानेर

RajKaj Ref
6921251

Digitally signed by Chandra Kiran Panwar
Designation : Assistant Director
Date: 2024.05.03 11:09:39 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा-निर्देश/2023-24

दिनांक :- 01.05.2024

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2024-25 हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

सार्वजनिक सूचना (संशोधित समय सारणी)

इस कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/आरटीई /सी/ 18878/आरटीई दिशा-निर्देश/2023-24 दिनांक :- 01.04.2024 एवं संशोधित टाईम फ्रेम दिनांक 16.04.2024 शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश हेतु जारी समय सारणी को विद्यार्थी हित में संशोधित करते हुए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन व दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 10.05.2024 तक बढ़ाते हुए जन्म दिनांक की गणना हेतु संशोधित आधार तिथि दिनांक 01.04.2024 की जाती है। पूर्व में निर्धारित आधार तिथि दिनांक 31.07.2024 के अनुसार किये गये आवेदन भी स्वीकार्य होंगे। शेष संशोधित समय सारणी प्राइवेट स्कूल पोर्टल www.rajpsp.nic.in एवं विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध हैं।

(आशीष मोदी)

IAS

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

RajKaj Ref
6906959

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish
Modi

Designation : Director

Date : 01-05-2024 05:50:08